Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 77/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– राधेश्याम पुत्र पन्नालाल 2– किशनलाल पुत्र पन्नालाल जातियान ब्राह्मण निवासीगण ग्राम मलार तहसील फलोदी, जिला जोधपुर		1– मोहनप्यारी पुत्री पन्नालाल पत्नी जमनादास 2– राधा पुत्री पन्नालाल दोनो जातियान ब्राह्मण निवासी ग्राम मलार तहसील फलोदी जिला जोधपुर 3– तहसीलदार बाप जिला लोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 4–4–2019 जो राजस्व अपील संख्या 26/2016 अनवान मोहनप्यारी बनाम तहसीलदार बाप वगैरा मे अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थिति–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2– श्री डी,एल,आर,व्यास अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 13–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दुर्जनी तहसील फलोदी के खसरा नंबरान 5/13 रकबा 69.11 बीघा तथा खसरा नंबर 5/14 रकबा 69.11 बीघा कुल 2 खसरान की 139.02 बीघा भूमि पन्नालाल पुत्र शिवराज कौम ब्राह्मण के खातेदारी की थी, उक्त खातेदार पन्नालाल के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे विरासत का नामांतरकरण संख्या 459 मृत पन्नालाल के वारिसान अपीलांटगण एवं रेस्पो0 सख्या 2 के नाम स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 459 के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 मोहनप्यारी पुत्री पन्नालाल ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी के समक्ष प्रथम अपील पेश की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–4–2019 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 459 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बाप को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 4 को सुनवाई का अवसर देकर मृतक खातेदार पन्नालाल के सम्पूर्ण विधिक वारिसान की जांच कर म्युटेशन विधिसम्मत स्वीकृत करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–4–2019 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये ।

pdfelement

Remove Watermark Now

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि हम अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुए थे हम जवाब पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विलंब से प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को विधिविरूद्ध निस्तारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 ने जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये है, वे विधिवत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये थे, जिसका विधिवत जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को विधिवत निर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–4–2019 को निरस्त करने तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 459 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

pdfelement

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 मृतक खातेदार पन्नालाल की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस पुत्री होते हुए मृतक पन्नालाल के खातेदारी की भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये विरासत के नामांतरकरण संख्या 459 मे रेस्पो0 संख्या 1 का नाम दर्ज नही किया जो विधिविरूद्ध होने से उक्त म्युटेशन की जानकारी होने पर उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 459 को विधिविरूद्ध मानते हुए निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बाप को मृतक खातेदार पन्नालाल के विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनकर पुनः म्युटेशन की कार्यवाही के लिए प्रतिप्रेषित किया है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया है ।

रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट का यह कथन कि उसे सुनवाई का अवसर नही दिया गया तो अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया ही किया है तो अपीलांटगण तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय

Remove Watermark Now

द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 459 ग्राम दुर्जनी जो खातेदार पन्नालाल के फोत होने पर विरासत का उसके वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया है, का अवलोकन किया तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–4–2019 का भी अध्ययन किया ।

ग्राम दुर्जनी तहसील फलोदी के खसरा नंबरान 5/13 रकबा 69.11 बीघा तथा खसरा नंबर 5/14 रकबा 69.11 बीघा कुल 2 खसरान की 139.02 बीघा भूमि पन्नालाल पुत्र शिवराज कौम ब्राह्मण के खातेदारी की थी, उक्त खातेदार पन्नालाल के फोत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे विरासत का नामांतरकरण संख्या 459 मृत पन्नालाल के वारिसान के रूप मे वर्तमान अपीलांटगण एवं रेस्पो0 सख्या 2 के नाम ही स्वीकृत किया गया जबकि वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 मोहन प्यारी भी स्व0 खातेदार पन्नालाल की जांयदा पुत्री जीवित थी परंतु उसको उसके पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए स्वीकृत किये गय नामांतरकरण संख्या 459 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–4–2019 के द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 459 को विधिविरूद्ध मानते हुए उसे निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बाप को मृतक खातेदार पन्नालाल के विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनकर पुनः म्युटेशन की कार्यवाही के लिए प्रतिप्रेषित किया है, जिसमे प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नही पाया जाता है ।

वर्तमान अपील के अपीलांटगण का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय मे उन्हे सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही दिया गया । अपीलांट अधिवक्ता ने इस तथ्य का खण्डन नही किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 मोहन प्यारी मृतक खातेदार पन्नालाल की पुत्री नही है अथार्त् रेस्पो0 संख्या 1 मोहनप्यारी भी मृतक खातेदार की जायंदा पुत्री होने से वह भी हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा उसका भी अन्य पुत्रो, पुत्रियो के समान अपने पिता के खातेदारी की भूमि मे अधिकार होने से अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार बाप को मृतक खातेदार पन्नालाल के विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनकर पुनः म्युटेशन की कार्यवाही के लिए प्रतिप्रेषित करने का जो आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य होने से हम उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

जहां तक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय मे उन्हे सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया तो अधीनस्थ

pdfelement

Remove Watermark Now

न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के क्रम मे अपीलांटगण तहसीलदार बाप के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 4–4–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 13–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.12.20 14:11:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: